

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/411

भोपाल, दिनांक 01/03/2018

//आदेश//

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 एक भोपाल, दिनांक 18.08.2008 एवं परिपत्र क्रमांक सी/3-12/2013/1/3, दिनांक 29.09.2014 के परिपालन में स्वर्गीय श्री परसराम तिलथिया, ड्रेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद म.प्र. की शासकीय सेवा में रहते हुये दिनांक 16.12.2015 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री सौरभ तिलथिया (अनुसूचित जाति) निवासी, प्लॉट न. 250 सेक्टर-2 शक्ति नगर भोपाल म0प्र0 की अनुकम्पा नियुक्ति (तृतीय श्रेणी में) सहायक ग्रेड-3 के पद पर सातवें वेतनमान अनुसार मैट्रिक लेवल-4 में रू. 19500/- न्यूनतम मूल वेतन तथा शासन द्वारा तत्समय देय मंहगाई भत्ते पर, 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, (मुख्यालय), सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल में अस्थाई रूप से उपस्थित होने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुकम्पा नियुक्ति नितांत अस्थाई है। उक्त नियुक्ति किसी भी समय किसी पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस अथवा उसके ऐवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
2. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने के उपरांत, इनके विपरीत कोई टीप अंकित होने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
3. संबंधित को कर्तव्य पर उपस्थित कराये जाने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।
5. संबंधित को अंशदायी पेंशन योजना-2005 लागू होगी।
6. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये जाति प्रमाणपत्र/अन्य-प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्रों के आधार पर आपको नियुक्ति दी जा रही है। भविष्य में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र सत्यापन के समय या अन्यथा फर्जी/त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी एवं त्रुटिकर्ता अभ्यार्थी के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की जावेगी।
7. संबंधित कर्मचारी शासन के प्रति पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा।
8. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे।
9. रुपये 3/- का चालान मद 2210 चिकित्सा सेवायें अन्य प्राप्तियों में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगी।
10. आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
11. म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29.09.2014 के अनुसार कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 दिनांक 26.02.2015 के निर्देशानुसार कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता हेतु (CPCT) स्कोर कार्ड धारित करना भी अनिवार्य होगा। उपरोक्त शासन निर्देशानुसार डिप्लोमा/प्रमाण पत्र एवं स्कोर कार्ड 03 वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश,

C:\Users\DHS OES\Desktop\C-1 Order-2018.doc

03 MAR 2018

//2//

पृ.क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/ 412
 प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

भोपाल, दिनांक 03/03/2018

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश ।
4. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय ।
5. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय ।
6. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला होशंगाबाद/भोपाल ।
8. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग, भोपाल ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल/होशंगाबाद ।
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय ।
11. निज सहायक, अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय ।
12. श्री सौरभ तिलथिया (अनुसूचित जाति) निवासी, प्लॉट न. 250 सेक्टर-2 शक्ति नगर भोपाल म0प्र0 की ओर पालनार्थ ।
13. सेल-3 एवं 5, कार्यालय स्थापना शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
14. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
15. आदेश नस्ती, ।



अपर संचालक (प्रशासन)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/409

भोपाल, दिनांक 01/02/2018

//आदेश//

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 एक भोपाल, दिनांक 18.08.2008 एवं परिपत्र क्रमांक सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के परिपालन में स्वर्गीय डॉ. एम.एल. भारती, अस्थीरोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय सीहोर, म.प्र. की शासकीय सेवा में रहते हुये दिनांक 14.07.2014 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र डॉ. हर्ष विभोर भारती (अनुसूचित जाति) निवासी, 12/4 इन्द्राणी अस्पताल मेनरोड बैरागढ़ भोपाल म0प्र0 की अनुकम्पा नियुक्ति (तृतीय श्रेणी में) सहायक ग्रेड-3 के पद पर सातवें वेतनमान अनुसार मैट्रिक लेवल-4 में रु. 19500/- न्यूनतम मूल वेतन तथा शासन द्वारा तत्समय देय मंहगाई भत्ते पर, 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, न्यूनतम मूल वेतन पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, (मुख्यालय), सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल में अस्थाई रूप से उपस्थित होने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुकम्पा नियुक्ति नितांत अस्थाई है। उक्त नियुक्ति किसी भी समय किसी पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस अथवा उसके ऐवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
2. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने के उपरांत, इनके विपरीत कोई टीप अंकित होने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेंगी।
3. संबंधित को कर्तव्य पर उपस्थित कराये जाने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।
5. संबंधित को अंशदायी पेंशन योजना-2005 लागू होगी।
6. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये जाति प्रमाणपत्र/अन्य-प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्रों के आधार पर आपको नियुक्ति दी जा रही है। भविष्य में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र सत्यापन के समय या अन्यथा फर्जी/त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो नियुक्ति निरस्त की जावेगी एवं त्रुटिकर्ता अभ्यार्थी के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की जावेगी।
7. संबंधित कर्मचारी शासन के प्रति पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा।
8. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे।
9. रुपये 3/- का चालान मद 2210 चिकित्सा सेवायें अन्य प्राप्ति में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगी।
10. आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
11. म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनांक दिनांक 29.09.2014 के अनुसार कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 दिनांक 26.02.2015 के निर्देशानुसार कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता हेतु (CPCT) स्कोर कार्ड धारित करना भी अनिवार्य होगा। उपरोक्त शासन निर्देशानुसार डिप्लोमा/प्रमाण पत्र एवं स्कोर कार्ड 03 वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्य प्रदेश,

निरंतर.....2

C:\Users\DHS OES\Desktop\C-1Order-2018.doc

03 MAR 2018


पृ.क्र./4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/ 410
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

भोपाल, दिनांक 01/03/2018

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश ।
4. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय ।
5. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय ।
6. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर/भोपाल ।
8. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग, भोपाल ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल/सीहोर ।
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय ।
11. निज सहायक, अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय ।
12. डॉ. हर्ष विभोर भारती (अनुसूचित जाति) निवासी, 12/4 इन्द्राणी अस्पताल मेनरोड बैरागढ़ भोपाल म0प्र0 की ओर पालनार्थ ।
13. सेल-3 एवं 5, कार्यालय स्थापना शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
14. प्रभारी एम.आई.सी., स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
15. आदेश नस्ती, ।

अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश,

प्रशासकीय MIS उक्त शाखा से
आज ही वेबसाईड पर अपलोड कर
अपडेट किया (9211) को केंद्र शाखा


1.3.18
5:45 PM

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/407

भोपाल, दिनांक 01/03/2018

//आदेश//

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 एक भोपाल, दिनांक 18.08.2008 एवं परिपत्र क्रमांक सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के परिपालन में स्वर्गीय श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, ए.एन.एम., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, औब्दुल्लागंज जिला रायसेन, म.प्र. की शासकीय सेवा में रहते हुये दिनांक 27.07.2010 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री शान्तनु श्रीवास्तव (सामान्य-वर्ग) निवासी, वार्ड क्रमांक-5/13 जैन मंदिर के पास उदयपुरा जिला ^{रायसेन} की अनुकम्पा नियुक्ति (तृतीय श्रेणी में) सहायक ग्रेड-3 के पद पर सातवें वेतनमान अनुसार मैट्रिक लेवल-4 में रु. 19500/- न्यूनतम मूल वेतन तथा शासन द्वारा तत्समय देय मंहगाई भत्ते पर, 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, (मुख्यालय), सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल में अस्थाई रूप से उपस्थित होने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुकम्पा नियुक्ति नितान्त अस्थाई है। उक्त नियुक्ति किसी भी समय किसी पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस अथवा उसके ऐवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
2. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने के उपरांत, इनके विपरीत कोई टीप अंकित होने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
3. संबंधित को कर्तव्य पर उपस्थित कराये जाने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का स्वरथता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।
5. संबंधित को अंशदायी पेंशन योजना-2005 लागू होगी।
6. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये जाति-प्रमाणपत्र/अन्य-प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्रों के आधार पर आपको नियुक्ति दी जा रही है। भविष्य में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र सत्यापन के समय या अन्यथा फर्जी/त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो नियुक्ति निरस्त की जावेगी एवं त्रुटिकर्ता अभ्यार्थी के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की जावेगी।
7. संबंधित कर्मचारी शासन के प्रति पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा।
8. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. रूपये 3/- का चालान मद 2210 चिकित्सा सेवायें अन्य प्राप्तियों में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगी।
10. आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
11. म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनांक दिनांक 29.09.2014 के अनुसार कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 दिनांक 26.02.2015 के निर्देशानुसार कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता हेतु (CPCT) स्कोर कार्ड धारित करना भी अनिवार्य होगा। उपरोक्त शासन निर्देशानुसार डिप्लोमा/प्रमाण पत्र एवं स्कोर कार्ड 03 वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

निरंतर.....2

C:\Users\DHS OES\Desktop\C-1Order-2018.doc


03 MAR 2018

//2//

पृ.क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/ 408
 प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल, दिनांक 04/03/2018

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ
3. आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
4. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
5. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय।
6. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला रायसेन ।
8. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग, भोपाल।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल ।
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय ।
11. निज सहायक, अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय ।
12. श्री शान्तनु श्रीवास्तव (सामान्य वर्ग) निवासी, वार्ड क्रमांक-5/13 जैन मंदिर के पास उदयपुरा जिला म0प्र0 की ओर पालनार्थ।
13. सेल-3 एवं 5, कार्यालय स्थापना शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
- ✓ 14. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु
15. आदेश नस्ती, ।



अपर संचालक (प्रशासन),
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
 मध्य प्रदेश,

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/405

भोपाल, दिनांक 01/03/2018

//आदेश//

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 एक भोपाल, दिनांक 18.08.2008 एवं परिपत्र क्रमांक सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के परिपालन में स्वर्गीय डॉ. राधावशरण गौतम, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय जिला सतना, म.प्र. की शासकीय सेवा में रहते हुये दिनांक 29.08.2008 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री विनय गौतम (सामान्य वर्ग) निवासी, 16/1164 पवार गैस गोदाम के पीछे बरा, जिला रीवा म0प्र0 की अनुकम्पा नियुक्ति (तृतीय श्रेणी में) सहायक ग्रेड-3 के पद पर सातवें वेतनमान अनुसार मैट्रिक लेवल-4 में रु. 19500/- न्यूनतम मूल वेतन तथा शासन द्वारा तत्समय देय मंहगाई भत्ते पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, (मुख्यालय), सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल में अस्थाई रूप से उपस्थित होने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुकम्पा नियुक्ति नितांत अस्थाई है। उक्त नियुक्ति किसी भी समय किसी पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस अथवा उसके ऐवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
2. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने के उपरांत, इनके विपरीत कोई टीप अंकित होने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
3. संबंधित को कर्तव्य पर उपस्थित कराये जाने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।
5. संबंधित को अंशदायी पेंशन योजना-2005 लागू होगी।
6. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये जाति प्रमाणपत्र/अन्य-प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्रों के आधार पर आपको नियुक्ति दी जा रही है। भविष्य में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र सत्यापन के समय या अन्यथा फर्जी/त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो नियुक्ति निरस्त की जावेगी एवं त्रुटिकर्ता अभ्यार्थी के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की जावेगी।
7. संबंधित कर्मचारी शासन के प्रति पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा।
8. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे।
9. रूपये 3/- का चालान मद 2210 चिकित्सा सेवायें अन्य प्राप्तियों में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगी।
10. आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
11. म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनांक दिनांक 29.09.2014 के अनुसार कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 दिनांक 26.02.2015 के निर्देशानुसार कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता हेतु (CPCT) स्कोर कार्ड धारित करना भी अनिवार्य होगा। उपरोक्त शासन निर्देशानुसार डिप्लोमा/प्रमाण पत्र एवं स्कोर कार्ड 03 वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

निरंतर.....2

C:\Users\DHS OES\Desktop\C-1Order-2018.doc


03 MAR 2018

पृ.क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/ 406 //2//

भोपाल, दिनांक 01/03/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश ।
4. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय ।
5. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय ।
6. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा/सतना ।
8. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवार्ये रीवा संभाग, रीवा ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल/रीवा ।
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय ।
11. निज सहायक, अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय ।
12. श्री विनय गौतम (सामान्य वर्ग) निवासी, 16/1164 पवार गैस गोदाम के पीछे बरा, जिला रीवा म0प्र0 की ओर पालनार्थ ।
13. सेल-3 एवं 5, कार्यालय स्थापना शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
14. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
15. आदेश नस्ती, ।



अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,
मध्य प्रदेश,

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/403

भोपाल, दिनांक 01/03/2018

//आदेश//

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 एक भोपाल, दिनांक 18.08.2008 एवं परिपत्र क्रमांक सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के परिपालन में स्वर्गीय श्रीमती शारदा बाई तवरं, वार्ड आया., जिला चिकित्सालय, रतलाम, म.प्र. की शासकीय सेवा में रहते हुये दिनांक 21.06.2011 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्री कु. भूमिका सोलंकी (अन्य पिछड़ा वर्ग) निवासी, वार्ड क्रमांक-15/1 भगतसिंह मार्ग खाचरौद जिला उज्जैन म0प्र0 की अनुकम्पा नियुक्ति (तृतीय श्रेणी में) सहायक ग्रेड-3 के पद पर सातवें वेतनमान अनुसार मैट्रिक लेवल-4 में रु. 19500/- न्यूनतम मूल वेतन तथा शासन द्वारा तत्समय देय मंहगाई भत्ते पर, 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, (मुख्यालय), सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल में अस्थाई रूप से उपस्थित होने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुकम्पा नियुक्ति नितान्त अस्थाई है। उक्त नियुक्ति किसी भी समय किसी पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस अथवा उसके ऐवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
2. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने के उपरांत, इनके विपरीत कोई टीप अंकित होने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
3. संबंधित को कर्तव्य पर उपस्थित कराये जाने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का स्वरथता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।
5. संबंधित को अंशदायी पेंशन योजना-2005 लागू होगी।
6. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये जाति प्रमाणपत्र/अन्य-प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्रों के आधार पर आपको नियुक्ति दी जा रही है। भविष्य में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र सत्यापन के समय या अन्यथा फर्जी/त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो नियुक्ति निरस्त की जावेगी एवं त्रुटिकर्ता अभ्यार्थी के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की जावेगी।
7. संबंधित कर्मचारी शासन के प्रति पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा।
8. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे।
9. रुपये 3/- का चालान मद 2210 चिकित्सा सेवायें अन्य प्राप्तियों में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगी।
10. आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
11. म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनांक दिनांक 29.09.2014 के अनुसार कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 दिनांक 26.02.2015 के निर्देशानुसार कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता हेतु (CPCT) स्कोर कार्ड धारित करना भी अनिवार्य होगा। उपरोक्त शासन निर्देशानुसार डिप्लोमा/प्रमाण पत्र एवं स्कोर कार्ड 03 वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश,

निरंतर.....2

C:\Users\DHS OES\Desktop\C-1Order-2018.doc

03 MAR 2018

//2//

पृ.क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/ 404,
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

भोपाल, दिनांक 04 /03/2018

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश ।
4. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय ।
5. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय ।
6. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन/रतलाम ।
8. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग, उज्जैन ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल/रतलाम ।
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय ।
11. निज सहायक, अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय ।
12. कु. भूमिका सोलंकी (अन्य पिछड़ा वर्ग) निवासी, वार्ड क्रमांक-15/1 भगतसिंह मार्ग खाचरौद जिला उज्जैन म0प्र0 की ओर पालनार्थ ।
13. सेल-3 एवं 5, कार्यालय स्थापना शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
- ✓14. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
15. आदेश नस्ती, ।

D 11/3/18
अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश,